बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–1/पा0मे0–02/2020– 826(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31/12/2021

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1) दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–538(1), दिनांक–27.08.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में आर्यमण एजुकेशनल ट्रस्ट, लालजी टोला, लोहानीपुर, पटना द्वारा प्रस्तावित राज आर्यण नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कॉलेज, मोहद्दीनपुर, रामघाट, नालन्दा को सत्र–2021 से–

(क) निम्न पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अगले आदेश तक पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति, अंकित शर्तों के अधीन, प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी (DPT)	60 सीट
2	डिप्लोमा इन आकुपेशनल थेरापी (DOT)	60 सीट
3	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (DOTA)	60 सीट
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन (DMLT)	60 सीट
5	डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर (DSI)	60 सीट
6	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	120 सीट

(ख) निम्न डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंकित शर्तों के अधीन, प्रदान किया जाता है–

क्र0 सं0	डिग्री पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट
1	बैचलर इन फिजियोथेरापी (BPT)	120 सीट
2	बैचलर इन आकुपेशनल थेरापी (BOT)	120 सीट
3	बैचलर इन हॉस्पीटल मैनेजमेंट (BHM)	120 सीट

2. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन राज आर्यण नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कॉलेज, मोहद्दीनपुर, रामघाट, नालन्दा के द्वारा किया जायेगा।

3. संस्थान बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल परीक्षा समिति, पटना से अपने डिप्लोमा कोर्स में नामांकित छात्रों का निबंधन कराते हुए पाठ्यक्रमों को संचालित करेगी।

4. संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय से affiliation प्राप्त करने के उपरान्त ही डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन लेगी।

क्रमशः

5. संस्थान अपने कार्यरत सभी फैकल्टी/कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।

6. बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम–5(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000/–(रुपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

7. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

8. भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

9. सरकार द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/12/21

(शिशिर कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–1/पा0मे0–02/2020– 826(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 31/12 /2021

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, राज आर्यण नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कॉलेज, मोहद्दीनपुर, रामघाट, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियत्रंक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/परीक्षा नियत्रंक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/21

विशेष कार्य पदाधिकारी